न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–286/2019

दीपक कुमार तुलस्यान एवं अन्य...वादीगण

बनाम

स्मिता उतम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 01.03.2025 अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रतिवादी सं0–01 के खिलाफ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.05.2023 को वाद एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 18.05.2024 के आदेश द्वारा वापस लिया गया। एकपक्षीय आदेश वापस होने के पश्चात् प्रतिवादी सं0–01 को बयान तहरीरी दाखिल करना था किन्तु कुछ आवश्यक कागजात का नकल समय से प्राप्त नहीं हो सका जिसके कारण बयान तहरीरी दाखिल नहीं हो सका तथा आदेश दिनांक 21.09.2024 द्वारा प्रतिवादी सं0–01 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। आज दिनांक 01.03.2025 द्वारा बयान तहरीरी दाखिल किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश दिनांक 21.09.2024 को वापस लेकर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–01 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद प्रारंभिक अवस्था में है। विधि का सुस्थापित	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–286/2019

दीपक कुमार तुलस्यान एवं अन्य...वादीगण

बनाम

स्मिता उतम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **17.05.2025**	सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी सं0–01 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन दिनांक 01.03.2025 मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–01 का बयान तहरीरी ग्रहण किया जाता है तथा आवेदन दिनांक 21.09.2024 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 21.06.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	